# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

## अष्टम् सत्र

## वीरवार, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937(शक्)

## 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

    (1) **तारांकित :**

    दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

    (2) **अतारांकित :**

    दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

    (1) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

    (i) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 41 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर के वार्षिक लेखे (संपरिक्षा रिपोर्ट सहित), वर्ष 2013-14; और

    (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, निरीक्षक, ग्रेड-I, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: एफ.डी.एस.-ए(3)-1/2009 दिनांक 31.12.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.01.2015 को प्रकाशित ।

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

## 3. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:</u>

**श्री बलदेव सिंह तोमर**, जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमण्डल की केदारपुर रिहायशी बस्ती में मै0 स्टार कैमिकल द्वारा अवैध ढंग से स्टोर किए गए खतरनाक रसायनों/कैमिकल्ज़ से हो रहे रिसाव के कारण लोगों में भारी रोष से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

## 4. <u>विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव:</u>

**श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2011 को पारित हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय(सम्पति की कुर्की और अधिहरण) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 25) को वापिस लिया जाए ।

## 5. <u>विधायी कार्य :</u>

## <u>सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना</u>

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(ii) **श्री कौल सिंह ठाकुर,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

## 6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

(1) **श्री सतपाल सिंह सत्ती (44-ऊना),** ऊना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ऊना-संतोषगढ़ वाया नगंड़ा एवं मैहतपुर-संतोषगढ़ वाया छत्रपुर ढाड़ा सड़कों की जनहित में शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(2) **डॉ0 राजीव बिन्दल (56-नाहन),** नाहन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कुछेक नामत: पुलों/सड़कों की डी0पी0आरज0 शीघ्रातिशीघ्र बनाए जाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(3) **श्री गोबिन्द सिंह ठाकुर (22-मनाली),** मनाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बन्दरोल, गांव मापक में Backward Area Sub-Plan के तहत निर्माणाधीन पुलियों का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(4) **श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़),** नालागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत हेतु वार्षिक बजट में धनराशि का प्रावधान किए जाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(5) **श्री सुरेश कुमार (55-पच्छाद),** पच्छाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नारंग-ओच्छघाट सड़क पर क्षतिग्रस्त हुए देवथल पुल का जनहित में शीघ्रातिशीघ्र निर्माण/वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(6) **डॉ0 राजीव बिन्दल (56-नाहन),** नाहन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बिना फिल्ट्रेशन बैड के चल रही पेयजल योजनाओं में फिल्ट्रेशन बैड का प्रावधान करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(7) **श्री राम कुमार (52-दून),** दून विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत जिला सोलन के गांव खारसी में पानी की मोटर के बार-2 खराब होने से लोगों को पेयजल की आपूर्ति में हो रही असुविधा बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(8) **श्री राम कुमार (52-दून),** दून विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत जिला सोलन के गांव मनेशी में लोगो की उपजाऊ भूमि में बेकार पड़ी बिज़ली की तारें/खम्बों को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र हटाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(9) **श्री गोबिन्द सिंह ठाकुर (22-मनाली),** मनाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा ब्राण नाला से ब्राह्मण बेड़ तक निर्मित जीप योग्य सड़क को लोक निर्माण विभाग के अधीन किए जाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

शिमला-171 004 सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 1 अप्रैल, 2015 सचिव।

********

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)